कम्पूरी उर्फ लक्ष्मी V/S पुष्पेन्द्रपुरी वगैरा अपील 24/2017

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये |
| --- | --- | --- |
| 27/7/18 | अभिभाषक उभयपक्ष उप०। अपीलान्ट कम्पूरी उर्फ लक्ष्मी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र अधीन आदेश-23 नियम-01 जा०दी० पर अभिभाषक उभयपक्ष को सुना गया। अपीलान्ट का कथन है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में पक्षकारान में भले लोगों ने राजीनामा करा दिया है। उनवानी प्रकरण में विवादित नामान्तकरण में वर्णित आराजी में अपने समस्त अधिकार खातेदारी रैस्पो० सं० 3 व 4 रघुवीर व दिनेश के हक में परित्याग करती है। विवादित नामान्तकरण बाबत अब कोई विवाद नहीं है। प्रार्थीया बिना किसी शर्त के अपनी अपील इसी स्तर पर विड्रा कर खारिज करने हेतु प्रार्थना की है। रैस्पोन्डेन्ट के अभि० को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थीया कम्पूरी देवी स्वयं उप० उसकी पहचान श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट ने की तथा रैस्पो० सं० 3 व 4 रघुवीर व दिनेश की पहचान श्री सुरेन्द्र कुमार देव एडवोकेट ने की।<br>अतः अपीलान्ट/प्रार्थीया कम्पूरी उर्फ लक्ष्मी का प्रा० पत्र आदेश-23 नियम 01 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर विड्रा की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br>[हरफूलसिंह यादव]<br>अति0 जिला कलक्टर<br>धौलपुर | नि० अ० कम्पूरी<br>Advocate ...<br>रघुवीर<br>दिनेश<br>Identified<br>R. Dev |